<table>
<tr>
<th>आदेश की कम संख्या और तारीख</th>
<th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th>
<th>आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ</th>
</tr>
<tr>
<td>6/1/2015</td>
<td>
सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्त्ति अपील संख्या 13/12
अभिमन्यु प्रसाद राय बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर) एवं अन्य
आदेश

संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 60/आपूर्ति दिनांक 17.1.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।

वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 19.10.11 को श्री अभिमन्यु प्रसाद राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, ग्राम पंचायत–बारवें, प्रखंड–दरियापुर के दूकान की जॉच मो0 राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी थी। जॉच के कम में निम्नांकित अनियमितताऍं पायी गयीः

1. दूकान बंद पाया गया।
2. मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं पाया गया।
3. दूकान के व्यापार स्थल पर लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं पाया गया।
4. खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं पाया गया।
5. अम्बिका राय पिता स्व0 मिश्री राय, गणेश राय, पिता– बच्चा राय, विकम कुमार पिता–सुनील राय, त्रिभुवन सिंह पिता– चनु सिंह, लालमुनि देवी पति–रा[illegible] साह, शांति कुंवर पति स्व0 हरिकिशुन सिंह एवं सरस्वती कुंवर पति स्व [illegible]
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

सिंह ने बताया कि लाल कूपन विक्रेता द्वारा रख लिया गया है।

6. खेदर बैठा पिता–गुलशन बैठा, देवन्ती देवी पति मेघनाथ सहनी, शारदा देवी पति सिद्वेश्वर राय, बाला साह पिता हरिसाह तथा चन्द्रावती देवी पति पुनित साह के पास माह जून 2011 से जॉच के समय तक इन लोगों के पास कूपन मौजूद था। उपरोक्त उपभोक्ताओं का कहना है कि विक्रेता द्वारा एक बार भी खाद्यान्न नहीं दिया गया है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 121। दिनांक 26.12.11 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी। उन्होंने अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता के द्वारा अधिकतर उपभोक्ताओं का कूपन अपने पास रख लिया गया है तथा अनियमित ढॅग से राशन–किरासन वितरण किया जाता है। कूपन पर निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आपूर्ति कर अधिक मूल्य लिया जाता है। साथ ही कैशमेमो नहीं दिया जाता है। उपरोक्त आरोप के संबंध में विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य में सूचना पट्ट तथा भंडार प्रदर्शन पट्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रमाणिक साक्ष्य नहीं माना गया। इसी तरह विक्रेता द्वारा वितरण से संबंधित अन्य साक्ष्य जॉच की तिथि के बाद का है, जो प्रमाणिक और संतोषजनक नहीं पाया गया। निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए वर्णित अनियमितता के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि सरकार के द्वारा निर्धारित समयावधि के दौरान वे अपनी दूकान पर उपस्थित थे। उस बीच कोई भी जॉच पदाधिकारी जॉच हेतु उनकी दूकान पर नहीं आए। मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन तालिका निर्धारित स्थल पर प्रदर्शित था, जिसकी छायाप्रति अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ समर्पित किया गया था। दूकान के व्यापार स्थल पर लाभुकों की सूची भी निर्धारित स्थल पर प्रदर्शित था, सुलभ प्रसंग हेतु उसकी कम्प्यूटराइज प्रति अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न किया गया। खाद्यान्न का संयुक्त नमूना भी उनके द्वारा नियमित रूप से प्रदर्शित किया जाता था। जहॉ तक विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रश्न है, उसके संबंध में बतलाया गया कि अम्बिका राय पिता स्व0 मिश्र राय, गणेश राय पिता बच्चा राय, विकम कुमार पिता सुशील राय, लालमुनी देवी पति राजेश्वर साह, खेदर बैठा पिता गुलशन बैठा एवं शारदा देवी, पति सिद्वेश्वर राय उनकी दूकान से सम्बद्व उपभोक्ता नहीं है। इसी प्रकार चन्द्रावती देवी पति पुनित साह का नाम बी.पी.एल/ए.पी.एल सूची में नाम नहीं है। त्रिभुवन सिंह पिता चन्नु सिंह, शांति कुंवर पति स्व0 हरिकिशुन सिंह एवं सरस्वती कुंवर पति स्व0 ईश्वर सिंह के द्वारा प्रतिमाह कूपन लाया जाता है एवं सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में सामान ले जाया जाता है। देवन्ती देवी पति मेघनाथ सहनी एवं बाला साह पिता हरिशाह के पास कूपन है। इस संबंध में इनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह सरकारी मूल्य पर निर्धारित मात्रा में निगरानी समिति के सदस्यों एवं संयोजक के समक्ष वितरण किया जाता है एवं उक्त समिति के सदस्यों के द्वारा वितरणोपरान्त वितरण पंजी एवं भंटार पंजी पर वितरण संबंधी प्रमाण पत्र अंकित किया जाता है। सुलभ प्रसंग हेतु इसकी छायाप्रति अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सम्यक विवेचना किए बिना अनुज्ञापन

पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी, जो विधि–सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि जिन उपभोक्ताओं के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व आरोप लगाए गए थे, उनमें से अधिकांश उनकी दूकान से सम्वद्व ही नहीं थे एवं कुछ के द्वारा अपीलार्थी से किसी प्रकार की शिकायत न होने तथा उनके द्वारा नियमित रूप से वितरण कार्य किए जाने से संबंधित शपथ पत्र समर्पित किया गया है, जिससे लगाए गए आरोप सही प्रमाणित नहीं होते हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत कागजातों एवं छायाचित्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा विधिवत् ढँग से लाभुकों की सूची, सूचनापट्ट संधारित किया जाता था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के कागजातों की सम्यक विवेचना किए वगैर आदेश पारित किया गया है, जो विधि–सम्मत् प्रतीत नहीं होता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 03 मु0/ज दिनांक 13/1/2015

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी,सोनपुर को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेवसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/1

वरीय उप समाहर्ता

12/1/15